

का परा व।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.,
पत्रावली वाले साक्ष्यवादी में दिनांक
13-5-2025 को पेश है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प मऊ में पेश
हुई। उतिवादी उप.) पत्रावली हल्का मऊ में
मौका रिपोर्ट उप.। मौका रिपोर्ट अनुसार
उतिवादी का विवाहित शराजी पर कच्चा था
पक्का निर्माण नहीं किया गया है। वादी द्वारा
द्वेषवश यह दावा किया गया है उतिवादी
ने कबल किया। उतिवादी ने एक रापप पत्र
किया जिसमें उतिवादी ने भावेल्य में विवाहित
शराजी पर कच्चा था पक्का निर्माण नहीं
होना अंकित किया। अतः प्रकटन सारहीन होने
से खारिज किया जाता है पत्रावली केवल शुभ
दोस्त निर्णय से कम है। यह निर्णय आज
कोर्ट कैम्प मऊ में मंगलेश्वर हुआ।

वकील पक्ष

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल